सत्यमेव जयते

न्यायालय सहायक कलक्टर, डीडवाना

पीठासीन अधिकारी:– श्री अंशुल सिंह, **R.A.S.**

राजस्व वाद संख्या: 66/2020 दायर दिनॉक 02.03.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. आकाशा उर्फ आकाक्षा पत्नी रूघनाथ जाति जाट निवासी बिंचावा, तहसील–डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर 3. भू प्रबंधक अधिकारी सेंटलमेन्ट विभाग सीकर जिला सीकर राज0

दावा बाबत्
घोषणा, नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 **R.T. Act.**

उपस्थित:–

1. श्री प्रितम सिंह वकील वादी

दिनॉक 23.12.2020

–:: निर्णय ::–

वाद के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि, वाके सरहद डाबगांव में स्थित खेत खसरा सं0 127/895 रकबा 0.33 हैक्टयर (पुराना खेत खसरा सं0 667/85 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) वादीनी की खातेदारी व कब्जा काश्त का अवस्थित है।

वाके सरहद डाबगांव में स्थित खेत खसरा सं0 127/895 रकबा 0.33 हैक्टयर (पुराना खेत खसरा सं0 667/85 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) के पश्चिम दिशा की ओर मौजुद सडक में से आने जाने का रास्ता मौजुद है तथा उक्त रास्ता पुराने नक्शा में भी रिकॉर्ड में दर्ज है। वादीनी के उपयोग उपभोग हेतु मौके पर वाद पत्र के साथ प्रस्तुत नजरी नक्शा अनुसूची "अ" के अनुसार रास्ता मौके पर पूर्व समय से चला आ रहा है तथा उक्त रास्ता ट्रेस नक्शा में भी दर्ज है तथा इस रास्ता के अलावा अन्य कोई रास्ता मोजुद नहीं है। लेकिन [illegible] व उनके कर्मचारियों ने मौके की स्थिति को [illegible] उक्त वादी[illegible] खातेदारी की भूमि को नजरी नक्शा "अ" में वर्णित [illegible] दिशा करके गलत रूप से ट्रेस नक्शा जारी किया है तथा नये ट्रेस [illegible]शा में तरमीम

Signature Not Verified
Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:54 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
डीडवाना (नागौर)

Scanned by CamScanner

राजस्व–वाद, संख्या 66 / 2020 दायर दिनाँक 02.03.2020 निर्णय दिनाँक 23.12.2020 आकाशा उर्फ आंकाक्षा बनाम तहसीलदार, वगैरा।

रास्ता मार्क ए से बी मौके पर ना तो है और ना ही उक्त वादीनी की खातेदारी की भूमि को रास्ता भूमि के रूप में अंकित किया जा सकता है। जबकि पुराने नक्शा के अनुसार ही वादीनी की भूमि मौके पर अवस्थित है। वादीनी को प्रतिवादीगण द्वारा भुलावें में आकर जो रास्ता तरमीम किया है उसकी जानकारी वादीनी को कभी भी नही रही।

प्रार्थना वादीनी है कि सरहद डाबगांव में स्थित खेत खसरा सं0 127 / 895 रकबा 0.33 हैक्टयर (पुराना खेत खसरा सं0 667 / 85 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) भूमि को पहले के नक्शे के अनुसार मौके पर घोषित की जाकर नजरी नक्शा अनुसूची "अ" में वर्णित माके ए से बी रास्ता भूमि की नक्शे में से तरमीम हटाये जाने की घोषणा की जाकर तदनुसार नक्श में तरमीम फरमाई जाकर नक्शें की रेकर्ड दुयस्ती सादर फरमावें।

वादी के वाद को दर्ज कर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। प्रतिवादीगण बावजुद तामील के अनुपस्थित।

बहस वकील वादी सुनी गई। रेकर्ड का अवलोकन किया। वर्तमान में तरमीम दुरूस्ती का कार्य सेटलमेन्ट विभाग की तरफ से किया जा रहा है। अतः तहसीलदार डीडवाना को नियमानुसार तरमीम दुरूस्ती की कार्यवाही करने के लिए निर्देशित किया जाना उचित होगा।

आदेश

अतः हस्ब दावा डिक्री सादिर कर वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 127 / 895 रकबा 0.33 हैक्टयर (पुराना खेत खसरा सं0 667 / 85 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) की भूमि के नक्श में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हो। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

(अंशुल सिंह)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:54 IST
Reason: SelfAttested

निर्णय आज दिनाँक 23. ... रे ईज... में सुनाया गया।

(अंशुल ...)
R.A.S.
सहायक कलक्टर
डीडवाना

Scanned by CamScanner

डिक्री बमुकद्दमें इब्तदाई
(आर्डर 20, रूल 6, 7 जाब्ता दीवानी)
अज अदालतः– सहायक कलक्टर, डीडवाना
बइजलास : श्री अंशुल सिंह, R.A.S.

राजस्व वाद संख्याः 66/2020 दायर दिनाँक 02.03.2020

वादी		प्रतिवादीगण
1. आकाशा उर्फ आंकाक्षा पत्नी रूघनाथ जाति जाट निवासी बिंचावा, तहसील– डीडवाना, जिला–नागौर, राजस्थान।	बनाम्	1. तहसीलदार डीडवाना 2. सहायक भू प्रबन्ध अधिकारी डीडवाना वृत तृतीय मुकाम सीकर 3. भू प्रबंधक अधिकारी सेंटलमेन्ट विभाग सीकर जिला सीकर राज0

दावा बाबत्
घोषणा, नक्शा रेकर्ड दुरूस्ती व स्थाई निषेधाज्ञा
अन्तर्गत धारा 88, 188 R.T. Act.

दिनाँक **23.12.2020**

यह मुकद्दमा आज वास्ते इनफिसाल कतई रूबरू हमारे व हाजरी मिनजानिब मुद्दई श्री प्रितम सिंह वकील वादी की ओर से मद्दायलह पेश होकर हुक्म दिया जाता है कि, हस्ब दावा वाके सरहद डाबगांव के खसरा सं0 127/895 रकबा 0.33 हैक्टयर (पुराना खेत खसरा सं0 667/85 रकबा 02 बीघा 01 बिस्वा) की भूमि के नक्श में नियमानुसार राजस्व रेकर्ड में तरमीम हो। तदनुसार राजस्व रिकार्ड दुरूस्त हो। डिक्री जारी हो।

नीज..........–.......... मुबलिंग............–............... बाबत.....................–..... ....खर्चा इस मुकद्दमें के मय सूद व शरह.........–......... आज की तारीख को अदा करें। बसब्त मेरे दस्तख्त व मुहर अदालत के आज की तारीख **23.12.2020** को सरे इजलास में जारी की गयी।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

मुद्दई	रूपया	पैसे	मुदायलह	रूपया	पैसे
स्टाम्प अर्जीदावा स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प वजह सबूत महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक	 – –		स्टाम्प वकालतनामा स्टाम्प अर्जी महनताना वकील खर्चा गवाहान फिस कमिश्नर बावत इजराय हुक्मनामा मुतफरिक		
मिजान			मिजान		

नोटः–इस खर्च के फार्म पर कुल खर्चा जो दिलाया जावे चाहे डिगरी के जरिये दिलाया गया हो या नही दर्ज करना चाहिये।

सहायक कलक्टर
डीडवाना

सहायक कलक्टर डीडवाना (नागौर)

Signature Not Verified

Digitally signed by Hanuman Ram Choudhary
Date: 2021.06.15 14:04:54 IST
Reason: SelfAttested

Scanned by CamScanner